

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ग) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारियों का निम्नांकित स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम श्रेणी में)

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सीमा नेगी	राजकीय पशुचिकित्साल, खाड़ी टिहरी	राजकीय पशुचिकित्सालय थानों देहरादून।	जनहित
2	श्री देवेन्द्र सिंह	राजकीय पशुचिकित्सालय जयहरीखाल पौड़ी	राजकीय पशुचिकित्सालय गोवर्धनपुर हरिद्वार	जनहित
3	श्री संजय लाल	राजकीय पशुचिकित्सालय मुस्टिकसौड उत्तरकाशी	राजकीय पशुचिकित्सालय सुभाषनगर देहरादून	जनहित
4	श्री प्रमोद कुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय लखवाड देहरादून।	राजकीय पशुचिकित्सालय सहसपुर देहरादून	जनहित
5	श्री सतीश चन्द्र	राजकीय पशुचिकित्सालय डाडामण्डी पौड़ी	राजकीय पशुचिकित्सालय कलालघाटी पौड़ी	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 625

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी टिहरी/देहरादून/पौड़ी/उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/वा०स्थाना० (वैट० फार्म०)/2025-26 दिनांक 10.06.25

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31-10/6/25
(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(क) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम श्रेणी में)

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मुकेश कुमार,	राजकीय पशुचिकित्सालय झबरेडा, हरिद्वार	राजकीय पशुचिकित्सालय रिखणीखाल, पौड़ी	जनहित
2	श्री चुनराज सिंह	राजकीय पशुचिकित्सालय बहादुराबाद, हरिद्वार	राजकीय पशुचिकित्सालय डाण्डामण्डी पौड़ी	जनहित
3	श्री राजकुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय बाडवाला देहरादून	राजकीय पशुचिकित्सालय लखवाड देहरादून	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 621
प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/वा०स्थाना० (वेट०फार्म०) /2025-26 दिनांक 10.06.25
- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
 - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी/देहरादून।
 - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

31/10/25
(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय—अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय—आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अन्जु रावत	राजकीय पशुचिकित्सालय नौटी, चमोली	राजकीय पशुचिकित्सालय डोईवाला देहरादून	निजी अनुरोध
2	श्री सचिन गुप्ता	राजकीय पशुचिकित्सालय डुण्डा उत्तरकाशी	राजकीय पशुचिकित्सालय सचल हरिद्वार	निजी अनुरोध
3	श्री ललित कुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय गोवर्धनपुर हरिद्वार	राजकीय पशुचिकित्सालय रायमेर बडेथ उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
4	श्री मनवर सिंह चौहान	राजकीय पशुचिकित्सालय नन्दानगर घाट चमोली	राजकीय पशुचिकित्सालय नन्द्रप्रयाग चमोली।	निजी अनुरोध
5	श्री आदेश कुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय त्यूनी देहरादून	राजकीय पशुचिकित्सालय थलनदी पौड़ी	निजी अनुरोध
6	श्री भजन सिंह नेगी	राजकीय पशुचिकित्सालय सचल पौड़ी	राजकीय पशुचिकित्सालय न्यूली टिहरी	निजी अनुरोध
7	श्री सुरेन्द्र सिंह	राजकीय पशुचिकित्सालय आदिबद्री चमोली	राजकीय पशुचिकित्सालय नौटी चमोली	निजी अनुरोध
8	श्री रेखा चमोली	राजकीय पशुचिकित्सालय न्यूली टिहरी	राजकीय पशुचिकित्सालय देवलगढ़ पौड़ी	निजी अनुरोध
9	श्री शिशुपाल लाल	राजकीय पशुचिकित्सालय देवल चमोली	राजकीय पशुचिकित्सालय सरमोला चमोली	निजी अनुरोध
10	श्री प्रदीप	राजकीय पशुचिकित्सालय चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	राजकीय पशुचिकित्सालय कमलपुर पौड़ी	निजी अनुरोध
11	श्री प्रकाश	राजकीय पशुचिकित्सालय कोलादरिया पौड़ी	राजकीय पशुचिकित्सालय चाकीसैण पौड़ी	निजी अनुरोध
12	श्री सुनील कुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय कल्जीखाल पौड़ी	राजकीय पशुचिकित्सालय घुसगली पौड़ी।	निजी अनुरोध
13	श्रीमती सुशीला	राजकीय पशुचिकित्सालय बडियारगढ़ टिहरी	राजकीय पशुचिकित्सालय खाडी टिहरी	निजी अनुरोध
14	श्री देवराज सिंह	राजकीय पशुचिकित्सालय स्यालना उत्तरकाशी	राजकीय पशुचिकित्सालय जयहरीखाल पौड़ी	निजी अनुरोध
15	श्री प्रेम प्रकाश	राजकीय पशुचिकित्सालय बछेर चमोली	राजकीय पशुचिकित्सालय आदिबद्री चमोली	निजी अनुरोध
16	श्री सुन्दर लाल	राजकीय पशुचिकित्सालय नैटवाड उत्तरकाशी	राजकीय पशुचिकित्सालय यमकेश्वर पौड़ी	निजी अनुरोध

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं०

624

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/वा०स्थाना० (वैट० फार्म०)/2025-26 दिनांक 10.06.2025
- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
 - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी टिहरी/देहरादून/पौड़ी/चमोली/उत्तरकाशी/हरिद्वार।
 - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० मूपेन्द्र सिंह जगपानी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-18(3) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारियों का निम्नांकित पारस्परिक स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विपिन कुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय लण्डौरा, हरिद्वार	राजकीय पशुचिकित्सालय मंगलौर हरिद्वार	पारस्परिक स्थानान्तरण
02	श्री जगबीर सिंह	राजकीय पशुचिकित्सालय मंगलौर, हरिद्वार	राजकीय पशुचिकित्सालय लण्डौरा, हरिद्वार	
3	श्री नीरज कुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय बगवान टिहरी	राजकीय पशुचिकित्सालय हिण्डोलाखाल टिहरी	पारस्परिक स्थानान्तरण
04	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	राजकीय पशुचिकित्सालय हिण्डोलाखाल टिहरी	राजकीय पशुचिकित्सालय बगवान टिहरी	

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 623

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार/टिहरी।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/वा०स्था० (वैट० फार्म०)/2025-26 दिनांक 10-06-2025
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31-10-25
(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(क) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(सुगम से सुगम श्रेणी में)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विशाल कुमार वर्मा	राजकीय पशुचिकित्सालय रुडकी, हरिद्वार	राजकीय पशुचिकित्सालय झबरेडा, हरिद्वार	जनहित
2	श्री विकास चौहान	राजकीय पशुचिकित्सालय सचल, हरिद्वार	राजकीय पशुचिकित्सालय रायसी, हरिद्वार	निजी अनुरोध
3	श्री धर्मेन्द्र कुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय रायसी, हरिद्वार	राजकीय पशुचिकित्सालय बहादुराबाद, हरिद्वार	निजी अनुरोध
4	श्री नरोत्तम सिंह	राजकीय पशुचिकित्सालय थानों, देहरादून	राजकीय पशुचिकित्सालय मसूरी, देहरादून।	निजी अनुरोध
5	श्री विशेष कुमार	राजकीय पशुचिकित्सालय सहसपुर, देहरादून	राजकीय पशुचिकित्सालय बाडवाला, देहरादून।	निजी अनुरोध

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 622

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/वा०स्थाना० (वेट०फार्म०) /2025-26 दिनांक 10.06.25

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।